Web Copy - Not Official

11/2016 अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

A8
7

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : करतारसिंह पूनियॉ, आर0ए0एस0

निगरानी पंचायत प्रकरण सं0 11/16

बनवारी लाल पुत्र किशनाराम जाति नायक निवासी 5 पी पी बी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत 11 ई ई ए तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर द्वारा सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत 11 ईईए
2. श्रीभगवान पुत्र श्री भादर राम जाति जाट निवासी 5 पी पी बी की ढाणी तह0 पदमपुर
3. साहबराम पुत्र श्री भादर राम जाति जाट निवासी 5 पी पी बी की ढाणी तह0 पदमपुर

गैर निगरानीकर्त्ता

निगरानी विरूद्व प्रस्ताव/आदेश ग्राम पंचायत 11 ईईए जिसकी रूह से भूखण्ड सं0 68 व 69 प्रत्येक का साईज 80 गुणा 50 फीट निगरानीकर्तागण के पूर्वजों के पुराने कब्जे को अप्रार्थीगण सं0 2 व 3 के पिता के नाम खसरा रजि0 में दर्ज किया गया।

उपस्थित : 1. श्री गुरप्रीतसिंह सिधू, अधिवक्ता, निगरानीकर्ता।
2 श्री राजवीरसिंह, अधिवक्ता, गैरनिगरानीकर्ता सं0 2 व 3

आदेश **दिनांक : 12–11–2016**

अपील लोक अदानत के समक्ष पेश हुई। प्रस्तुत निगरानी राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसके सुसंगत संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार हैं कि निगरानीकर्ता के पूर्वजों के पास 50 सालों से अधिक समय से गॉव के अहाताजात सं0 68 व 69 पुराने कब्जे में चले आ रहे हैं। समय समय पर अपनी लागत से निर्माण कार्य करवाया हुआ है। भूखण्ड के बीच में पक्की डिग्गी, दक्षिण दिशा में लेटरिन व बाथरूम बना हुआ है। पश्चिम दिशा में सरकारी गली आम है जिसमें उनका मुख्य द्वार खुलता है। इसी मकान में उनके वोट, राशन कार्ड बने हुए हैं। बिजली का कनेक्शन लिया हुआ है। बी पी एल परिवार के सदस्य हैं। अप्रार्थीगण ने ग्राम पंचायत से मिलकर खसरा आबादी रजिस्टर में पिछली तारीख में भादरराम का नाम दर्ज करवा लिया

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

सीआर0पी0सी0 का उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के न्यायालय में पेश किया जो भगवाना वगैरा बनाम बनवारी लाल वगैरा मु0 सं0 18/15 चला, जिसका निर्णय दिनांक 29–12–15 को अप्रार्थीगण का प्रकरण खारिज करते हुए निगरानीकर्ता बनवारी लाल व उसके पुत्र सन्तोष व उनके पूर्वजों का कब्जा घोषित करने के आदेश पारित किये गये। निगरानीकृत भूखण्ड सं0 68–69 पर भादर राम का कभी कब्जा नहीं रहा है। ग्राम पंचायत से मिलीभगत कर बैक डेट में खसरा आबादी रजि0 में भादर राम के नाम से दर्ज करवा लिया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीकृत भूखण्ड निरस्त फरमाये जावें।

निगरानी से संबंधित रेकार्ड ग्राम पंचायत से तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कहा है कि निगरानीकर्ता के पूर्वजों के पास 50 सालों से अधिक समय से निगरानीकृत भूखण्ड सं0 68 व 69 पुराने कब्जे में चले आ रहे हैं। समय समय पर अपनी लागत से निर्माण कार्य करवाया हुआ है। भूखण्ड के बीच में पक्की डिग्गी, दक्षिण दिशा में लेटरिन व बाथरूम बना हुआ है। पश्चिम दिशा में सरकारी गली आम है जिसमें उनका मुख्य द्वार खुलता है। इसी मकान में उनके वोट, राशन कार्ड बने हुए हैं। बिजली का कनेक्शन लिया हुआ है। बी पी एल परिवार के सदस्य हैं। अप्रार्थीगण ने ग्राम पंचायत से मिलकर खसरा आबादी रजिस्टर में पिछली तारीख में अप्रार्थी सं0 2 व 3 के पिता भादरराम का नाम दर्ज करवा लिया है। एक मुकदमा धारा 145 सीआर0पी0सी0 का उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के न्यायालय में पेश किया जो भगवाना वगैरा बनाम बनवारी लाल वगैरा मु0 सं0 18/15 चला, जिसका निर्णय दिनांक 29–12–15 को अप्रार्थीगण का प्रकरण खारिज करते हुए निगरानीकर्ता बनवारी लाल व उसके पुत्र सन्तोष व उनके पूर्वजों का कब्जा घोषित करने के आदेश पारित किये गये। निगरानीकृत भूखण्ड सं0 68–69 पर भादर राम का कभी कब्जा नहीं रहा है। इस प्रकार निवेदन किया है कि निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीकृत भूखण्ड निरस्त फरमाये जावें।

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि ग्राम पंचायत का निगरानीकृत आदेश विधिसम्मत् है। विधिसम्मत् प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाकर खसरा आबादी रजिस्टर में अप्रार्थी सं0 2 व 3 के पिता का नाम दर्ज किया गया है। बिजली के बिल में प्लाट सं0 अंकित नहीं होता है। पक्षकारों के मध्य सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन है। अप्रार्थी सं0 2 व 3 की ओर से जवाब पेश किया जा चुका है। सिविल न्यायालय, पदमपुर द्वारा निगरानीकर्ता का स्थगन प्रार्थना पत्र दिनांक 3–5–16 को खारिज किया जा चुका है। गॉव 5 पी पी बी के भूखण्ड सं0 65 व 66 के आवंटन को निगरानीकर्ता लालचन्द पुत्र मंगलाराम द्वारा निगरानी सं0 11/13 के माध्यम से 49 साल बाद चुनौति दी गई थी जिसमें इसी न्यायालय द्वारा दिनांक 17–6–16 को निर्णय पारित कर निगरानी मियाद बाहर मानते हुए खारिज कर दी गई थी। अप्रार्थीगण की ओर से मा0 सिविल न्यायालय, पदमपुर में प्रस्तुत जवाब में यह कथन किया है कि प्रतिवादीगण के पिता भादर राम पुत्र गंगाराम के नाम पंचायत रेकार्ड में अहाता सं0 68 दिनांक 2–10–63 व अहाता सं0 69 दिनांक 17–2–64 को

Leave

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

11/2016 अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

A8/3

अलॉट शुदा है। निगरानीकर्ता द्वारा अत्यधिक विलम्ब लगभग 53 वर्ष के भारी अंतराल के बाद निगरानी पेश की गई है इसलिए हस्तगत निगरानी मियाद बाहर होने से खारिज होने योग्य है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

निगरानीकर्ता ने निगरानी में इस तथ्य का उल्लेख कहीं नहीं किया है कि निगरानीकृत आदेश किस तारीख का है और न ही निगरानीकृत आदेश की प्रमाणित प्रति पेश की गई है। निगरानी के माध्यम से केवल अप्रार्थीगण के पक्ष में ग्राम पंचायत के खसरा रजिस्टर में की गई निगरानीकृत प्रविष्टि को निरस्त कराने का अनुतोष चाहा गया है।

उभय पक्षकारों के मध्य मा0 सिविल न्यायाधीश व0 ख0, पदमपुर के न्यायालय में वाद निगरानीकृत भूखण्ड के संबंध में विचाराधीन है, जिसमें अप्रार्थीगण को जवाब व काउन्टर क्लेम पेश किया जा चुका है। अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र निगरानीकर्ता के खिलाफ दिनांक 3–5–16 को निर्णित हो चुका है।

अप्रार्थी के अधिवक्ता का मुख्य तर्क है कि निगरानी अत्यधिक विलम्ब से लगभग 53 वर्षो के बाद पेश की गई है। अप्रार्थीगण की ओर से मा0 सिविल न्यायालय, पदमपुर में प्रस्तुत जवाब में यह कथन कर स्वीकार किया गया है कि प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण के पिता भादर राम पुत्र गंगाराम के नाम पंचायत रेकार्ड में अहाता सं0 68 दिनांक 2–10–63 व अहाता सं0 69 दिनांक 17–2–64 को अलॉट शुदा है।

दिनांक 2–10–63 व 17–2–64 के आवंटन को निगरानीकर्ता द्वारा हस्तगत निगरानी के माध्यम से दिनांक 13–4–16 को लगभग 53 साल बाद अत्यधिक विलम्ब से चुनौति दी गई है, इस विलम्ब के संबंध में कोई युक्तियुक्त स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस अत्यधिक भारी विलम्ब के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आपने न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित किया है कि :–

न्यायिक दृष्टान्त आर एल डब्ल्यू 1999(3) राज0 पेज 1391 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि " राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1953, धारा 27 सपठित धारा 17–क, राजस्थान पंचायत नियम एवं भारत का संविधान, अनुच्छेद 227– निलामी द्वारा भूमि का आवंटन – अपील नहीं की गई – छः वर्ष के विलम्ब के अन्तराल के पश्चात् पुनरीक्षण याचिका पेश – पुनरीक्षण हेतु परिसीमा अवधि निर्धारित नहीं – अभिनिर्धारित – जहॉ पर परिसीमा की अवधि निर्धारित नहीं हो तो उस मामले में युक्तिसंगत समय अवधि में याचिका प्रस्तुत होनी चाहिये – युक्तिसंगत समय की अवधि प्रत्येक मामलों के तथ्यों पर निर्भर करेगी – जो एक अथवा दो वर्ष तक हो सकती है पर छः वर्ष की अवधि का अंतराल बहुत भारी विलम्ब है जो स्वंय में अस्पष्ट है "।

निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 2–10–63 व 17–02–64 के खिलाफ दिनांक 13–04–16 को लगभग 53 वर्ष बाद भारी विलम्ब से पेश की गई है, जिसका कारण निगरानीकर्ता के अधिवक्ता द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। माननीय उच्च न्ययायालय द्वारा छः वर्ष की अवधि का अंतराल बहुत भारी विलम्ब होना माना है। साथ ही यह भी अभिनिर्धारित किया है कि जहॉ पर परिसीमा की अवधि

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

ही यह भी अभिनिर्धारित किया है कि जहॉ पर परिसीमा की अवधि निर्धारित नहीं हो तो उस मामले में युक्तिसंगत समय अवधि में याचिका प्रस्तुत होनी चाहिये – युक्तिसंगत समय की अवधि प्रत्येक मामलों के तथ्यों पर निर्भर करेगी – जो एक अथवा दो वर्ष तक हो सकती है। निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी लगभग 53 वर्ष बाद भारी विलम्ब के साथ पेश की गई है इतने भारी विलम्ब के बाद निगरानीकृत खसरा रजिस्टर में की गई प्रविष्टि को निरस्त करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः ऐसी स्थिति में निगरानी दायर करने में हुए भारी विलम्ब को युक्तिसंगत न मानते हुए निगरानी मियाद बाहर शुमार की जाती है।

फलस्वरूप, निगरानी मियाद बाहर होने से खारिज की जाती है। आदेश की प्रति के साथ रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे।

आदेश आज दिनांक 12–11–16 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/11/16

(करतारसिंह पूनियॉ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।
श्रीगंगानगर (राजस्थान)